संख्या-644/2017/1091/22-2-2017-17(33)/2005

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 11 अगस्त, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामदौर पुत्र श्री धनराज भर, निवासी जनपद-बस्ती वर्तमान सन्तकबीर नगर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-12857/प्रोबे0-5-द0या0 बैठक-07.04.2017 दिनांक 27.04.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र दिनांक 27.04.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामदौर पुत्र श्री धनराज भर, निवासी ग्राम कोडरी, थाना घनघटा, जनपद-बस्ती वर्तमान सन्तकबीर नगर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा चोरी के विवाद में गवाही न देने की रंजिश को लेकर दिनांक 20.04.1978 को 09 सहअभियुक्त के साथ मिलकर लाठी, फरसा, कट्टा, बल्लम एवं बम से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-191/1978 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बस्ती के आदेश दिनांक 25.07.1979 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15.09.1997 यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 05.09.2016 तक 12 वर्ष 00 माह 17 दिन की अपरिहार एवं 14 वर्ष 06 माह 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक में समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी रामदौर (बन्दी संख्या-44614) पुत्र श्री धनराज भर, निवासी-जनपद-बस्ती वर्तमान सन्तकबीर नगर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-644/2017/1091/(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सन्तकबीर नगर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in